

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,

बिहार पटना।

आदेश

सं० सं०-4/फार्मा-14-10/2019 423(4) पटना, दिनांक-3/3/19

श्री सुधीश कुमार श्रीवास्तव, फार्मासिस्ट, रेफरल अस्पताल, हसपूरा, औरंगाबाद के द्वारा समर्पित किए गए अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त श्री श्रीवास्तव को रेफरल अस्पताल, औरंगाबाद से स्थानान्तरित करते हुए सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के निपटारे पर पदस्थापित किया जाता है।

2. चूँकि यह स्थानान्तरण श्री श्रीवास्तव के अनुरोध पर किया गया है अतएव इन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डॉ० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

सं०सं०-4/फार्मा-14-10/2019 423(4) /स्वा०, पटना, दिनांक-3/3/19  
प्रतिलिपि-श्री सुधीश कुमार श्रीवास्तव, फार्मासिस्ट, रेफरल अस्पताल, हसपूरा, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सिविल सर्जन, औरंगाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, हसपूरा, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि श्री श्रीवास्तव को तीन दिनों के अंदर विरमित करते हुए निदेशालय को सूचित करें।

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)  
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।